

1/23

पत्रावली पैत्रा हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किपे गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किपे जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



